न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम जगदीश पुत्र दुलाराम जाट सा. चितावा वगैरह तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन

प्रार्थना–पत्र नम्बर 06/2023 **GCMS No.2023/12**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
07/11/2023	पत्रावली जगदीश पुत्र दुलाराम जाट सा. चितावा एवं उनके अधिवक्ता श्री बीरमाराम चौधरी द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अप्रार्थी मूलचन्द पुत्र हणमानराम गुर्जर सा. त्रिसिंज्ञा के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, ग्राम चितावा पटवार मण्डल चितावा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 177 रकबा 1.81 हैक्टर में से 0.1932 हैक्टर को अप्रार्थीगण ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि (दुकाने, धर्मकांटा, ब्लॉक फैक्ट्री व रसगुल्ला उद्योग लगाकर) उपयोग कर लिया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनॉक 11.01.2023 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, अप्रार्थी जगदीश की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है उपरोक्त भूमि का बंटवारा करवाकर अपने हक हिस्से की भूमि संपरिवर्तन कराने के लिये तैयार है। माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने से उक्त भूमि को विकसित करने एवं कृषि कार्य हेतु ऋण, संपरिवर्तन आदि कार्यवाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भूमि का विकास, संपरिवर्तन व कृषि कार्य पूर्ण रूप से बाधित हो रहा है, अप्रार्थी के विरूद्व की गई धारा 212 आर. टी. एक्ट की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावें ताकि वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करवाया जाकर भूमि संपरिवर्तन करा सके। अप्रार्थी अन्डर टेकिंग देता है कि भविष्य में उसके द्वारा उपरोक्त भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग किये जाने से पूर्व संबंधित प्राधिकृत प्राधिकारी से विधिवत संपरिवर्तन करवाकर ही गैर कृषि कार्य में लेगा। अप्रार्थी के विरूद्व की गई धारा 212 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है तथा अप्रार्थी ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम चितावा पटवार मण्डल चितावा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 177 रकबा 1.81 हैक्टर को अप्रार्थी ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में नही लेगा, जिसके लिए अप्रार्थी ने अंडरटेकिंग दी है। माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण अप्रार्थी को भूमि का बंटवारा करवाये जाने एवं भूमि संपरिवर्तन कराये जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें। अतः अप्रार्थी के जवाब में उल्लेखित तथ्यों एवं प्रस्तुत अण्डरटेकिंग पर विश्वास करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 11.01.2023 एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:45 IST
Reason: SelfAttested

07/11/2023

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते